16

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 21 अक्टूबर,1998 को प्रातः 11.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष वरूणालय फेज–2 में हुई सोलहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्रीमती सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दि.ज.बोर्ड
4.	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	–तदैव–
6.	श्रीमति रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
7.	श्री आर.सी.वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	–तदैव–
8.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी	–तदैव–
9.	डा. डी.के.चड्ढा, अध्यक्ष, के.भू.प्रा.	–तदैव–
10.	श्री उमेश सैगल, मुख्य सचिव	–तदैव–
11.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	–तदैव–

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किये गये ।

संकल्प संख्या 145

मद संख्या 147 गोविन्द पुरी कालका जी में जल वितरण में संवर्द्धन हेतु गिरि नगर में 3 लाख गैलन का भूमिगत जलाशय एवं संवर्द्धन पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का ब्लाक अनुमान ।

मुख्य अभियंता (सी)प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./98/97 दिनांक 8.10.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् उपरोक्त कार्य के लिए अनुमानित लागत रूपये 113.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

संकल्प संख्या 146

मद संख्या 148 नांगलोई सैयद में 40 मि0गै0दै0 क्षमता के अवजल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

कृ0प0उ0

मुख्य अभियंता (सी)द्वितीय के पत्र क्रनांक दि.ज.बोर्ड तक./98/98 दिनांक 12.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि इस कार्य के लिए दुबारा निविदाएं आमंत्रित करके शीघ्र बोर्ड के समक्ष कार्य को आवंटित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

संकल्प संख्या 147

मद संख्या 149 रूपये 6500–10,500 के वेतनमान में राजस्व संग्रहण अधिकारी के पदनाम से अधिसंख्य संवर्ग बाध्य पद को जारी रखना ।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/50 दिनांक 14.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री शोभा राम वरिष्ठ आशुलिपिक के लिए रूपये 6500–10,500 के वेतनमान + रू0 185/230 मोटर साइकिल भत्ता तथा नियमानुसार देय अन्य सामान्य भत्तों सहित सृजित राजस्व संग्रहण अधिकारी के पदनाम से अधिसंख्य संवर्ग बाध्य पद को दिनांक 1.7.98 से एक और वर्ष के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 148

मद संख्या 150 गोकुलपुरी पुर्नवास कालोनी, शाहदरा में आंतरिक सीवर लाइन की व्यवस्था और बिछाना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)चतुर्थ के पत्र क्रनांक दि.ज.बोर्ड तक./98/99 दिनांक 14.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि उपरोक्त कार्य को दिल्ली दर अनुसूची 1993 से 11.11% निम्न की दर पर रू 28,94,917.31 की कुल लागत पर मै. जगदीश कं.कं. को आवंटित करने की स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 149

मद संख्या 151 चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987–88 तथा 1.1.89 से 31.12.90 के मध्य सी.एस.सी. पक्ष में (वि.एवं या.) दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित करना ।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक प्रशा./98/51 दिनांक 15.10.98 में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव लाया जाए ।

संकल्प संख्या 150

मद संख्या 152 जल प्रभार के बिलों के संशोधन हेतु । (बैठक में प्रस्तुत)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./98/52 दिनांक 20.10.98 में दिए गए पूर्ण आपूर्ति के आधार पर जारी किए गए जल प्रभारों के बिलों के संशोधन पर स्पष्टीकरण की सूचना को रिकार्ड करने के आदेश दिए गए । यह भी संकल्प किया गया कि इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को दी जाए ।

कृ0प0उ0

बैठक में अन्य विषयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिए गए ।

1. मद संख्या 147 पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए एजेंडा में सिविल एवं यांत्रिक कार्यो का पूर्ण विवरण अलग–अलग दिया जाए ।

2. पानी के टैंकरों व अन्य वाहनों के रखरखाव पर पूर्ण ध्यान दिया जाए । कहीं भी त्रुटि पाए जाने पर संबन्धित अभियंताओं की जिम्मेदारी होगी ।

3. पहले से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी पानी के रिसावों को 31.10.98 तक पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाए । इसके पश्चात् पाए गए रिसावों के लिए संबन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

4. जैसे कि पहले आदेश दिए जा चुके हैं किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना एवं रिसाव से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणो से सुसज्जित वाहनों की व्यवस्था की जाए तथा की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया जाए ।

5. बैठको में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही रिर्पोट (एक्शन टेकन रिर्पोट) संबधित अधिकारियो से मंगवाकर बोर्ड के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए । अध्यक्ष महोदया ने यह भी कहा कि निर्णय के बाद कार्यवाही में यदि कहीं अड़चन आ रही हो तो उसकी तुरन्त समीक्षा की जानी चाहिए ।

6. गहरे हैण्डपम्प लगाने के बोर्ड के संकल्प पर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाए ।

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बोर्ड को सूचित किया कि अब तक टैंकरो की खरीद एवं गहरे हैण्डपम्प लगाने कि लिए लगभग 18 करोड़ रूपये खर्च कर दिए हैं जबकि दिल्ली जल बोर्ड को केवल 1.50 करोड़ रूपये दिल्ली सरकार से मिले हैं । दिल्ली जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होने शीघ्राति-शीघ्र दिल्ली सरकार से आवश्यक धनराशी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया । अध्यक्ष महोदया ने मुख्य सचिव, दिल्ली से इस पर उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिया ।

सचिव

अध्यक्ष